(iii) निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रकिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के श्रोत भी सम्मिलित हैं:

निगम द्वारा संचालित समस्त योजनाओं तथा उसके कियान्वयान के लिये कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रबन्ध निदेशक का पूर्ण नियन्त्रण है। निगम में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने एवं उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही के लिये प्रबन्ध निदेशक ही सक्षम अधिकारी हैं।

निगम द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में रू0 एक लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित है। स्वीकृति की कार्यवाही शासन द्वारा प्रदत्त बजट तथा निर्दिष्ट नियमों/ नियमावली के अधीन की जाती है। राष्ट्रीय निगमों यथा– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में स्वीकृति एवं कियान्वयन की कार्यवाही सम्बन्धित निगमों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

रू0 एक लाख तक की परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी में निहित है।

रू0 50,000.00 तक की परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार जनपद स्तर पर अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) पदेन जिला प्रबन्धक में निहित है।

जनपद स्तर पर कार्यरत समस्त निगम अधिकारी/कर्मचारी, जिलाधिकारी के नियन्त्रणाधीन हैं। जिलाधिकारी को इन्हे निलम्बित करने तथा इनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु निगम प्रबन्ध तन्त्र को प्रस्ताव भेजने का पूर्ण अधिकार है। जनपद स्तर पर कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी हैं।

निगम मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षकीय कार्य प्रबन्ध निदेशक तथा उनके अधीन महा प्रबन्धक करते हैं। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निगम का पर्यवेक्षकीय कार्य सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) करते हैं।